22/12/25 पत्रावली पेश। अभि० वकील वादी आए।
वकील वादी को बार-बार आवाज लगाने
गये के उपरान्त भी उप० नहीं आए अतः पत्रावली
अग्रिम सुनवाई अग्रिम पेशी में खारिज की जाती
है। पत्रावली मौखिक आदेश नम्बर 7 के क्रम
में दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) चिड़ावा